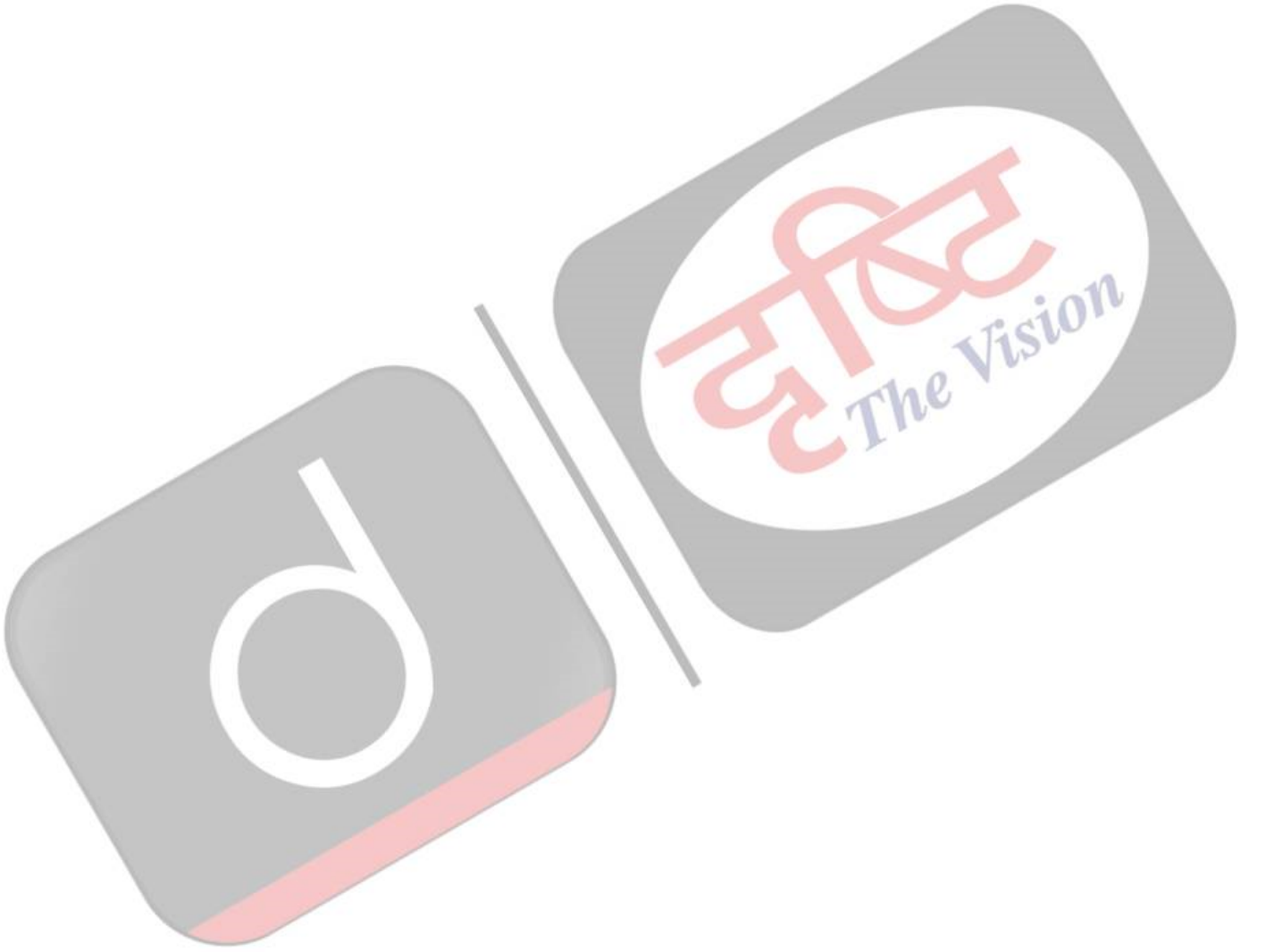




## पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)



# पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी और समाधान करने के लिये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग के शुरुआती चरणों में किया गया एक अध्ययन है।



- **वैधानिक स्थिति:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (EIA को अनिवार्य बना दिया गया)
- **नोडल मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)
- **परियोजना वर्गीकरण:** वर्ष 2006 की EIA अधिसूचना में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को वर्गीकृत किया गया है:
  - **A-श्रेणी प्रोजेक्ट:** MoEF&CC से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) की आवश्यकता
  - **B-श्रेणी प्रोजेक्ट:** राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार से पूर्व EC की आवश्यकता।
    - **B1-श्रेणी प्रोजेक्ट** (EIA की आवश्यकता अनिवार्य है)
    - **B2-श्रेणी प्रोजेक्ट** (EIA की आवश्यकता नहीं है)

**प्रोजेक्ट्स की 39 श्रेणियाँ हैं, जिनके लिये पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और ये EIA के अधीन हैं।**

## EIA अधिसूचना, 2006 के अनुसार EIA प्रक्रिया

| चरण                                                                                                                                                                                                     | उद्देश्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | द्वारा किया गया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ स्क्रीनिंग</li> <li>■ स्कोपिंग</li> <li>■ सार्वजनिक परामर्श</li> <li>■ प्रोजेक्ट्स की समीक्षा</li> <li>■ निर्णय लेना</li> <li>■ निगरानी (EC के बाद)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ EIA की आवश्यकता</li> <li>■ EIA के लिये महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करता है</li> <li>■ प्रभावित लोगों की चिंताओं का समाधान करता है</li> <li>■ अंतिम EIA रिपोर्ट/पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की जाँच</li> <li>■ पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्रदान करना</li> <li>■ सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों का अनुपालन</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) (श्रेणी-B)</li> <li>■ EAC के साथ MoEF&amp;CC द्वारा मानक संदर्भ अवधि (ToR) तैयार की गई/श्रेणी-B प्रोजेक्ट्स के लिये SEAC</li> <li>■ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)/UT प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UTPCB)</li> <li>■ श्रेणी A प्रोजेक्ट्स के लिये EAC और श्रेणी B1 प्रोजेक्ट्स के लिये SEAC</li> <li>■ श्रेणी A: MoEF&amp;CC</li> <li>■ श्रेणी B: राज्य EIA प्राधिकरण (SEIAA)</li> <li>■ SPCB / UTPCB और क्षेत्रीय कार्यालय</li> </ul> |

## EC के लिये सरकारी पहल

- **परिवेश (परिवेश इंटरएक्टिव और सदाचारी पर्यावरण सिंगल विंडो हब द्वारा प्रो-एक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन):** EC के लिये सिंगल विंडो सिस्टम
- **MoEF&CC और राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC)** द्वारा विकसित।
- **पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS):** पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित जानकारी एकत्र करना, एकत्रण, भंडारण करना, पुनः प्राप्त करना और प्रसारित करना।
- **पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2020 का मसौदा:** मौजूदा EIA अधिसूचना, 2006 को परिवर्तित करने के लिये MoEF&CC द्वारा प्रकाशित।

और पढ़ें: [पर्यावरणीय प्रभाव आकलन](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/environmental-impact-assessment-3>

